छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, डी.के.एस. भवन,

रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक 674 / श्रम / 2002 दिनांक 14–03–2002

बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 (अधि. क्रमांक 1976 का 19) की धारा 21 की उपधारा (1) सहपठित एवं म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 2000 का 28 – सी) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी उप खण्डीय दण्डाधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों का विचारण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करता है ।

राज्यपाल के आदेशानुसार एवं नाम से

(एम.एस. मूर्ति)
सचिव
श्रम खेल एवं युवक कल्याण

क्रमांक – 675 / श्रम / 2002 दिनांक 14–03–2002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़
3- श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
4- संचालक, शासकीय प्रेस, राजनांदगांव की ओर अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु एवं राजपत्र की 50 प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित ।

(एम.एस.मूर्ति)
सचिव
श्रम खेल एवं युवक कल्याण